



रजि. नं. एल. डब्लू. / एन. पी. 890

लाइसेंस नं० डब्लू० पी०-४१

लाइसेंस टू पोस्ट एंटेकन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

संखनऊ, शनिवार, 7 फरवरी, 1998

माघ 18, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 291/सवह-वि-1--1 (क)-39-1997

संखनऊ, 7 फरवरी, 1998

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक; 1998 पर दिनांक 6 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य महिला-आयोग अधिनियम, 1997 को निरसित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 8 दिसम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2--उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1997 का निरसन

निरसन

3—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 15
सन् 1997

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 291 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-39-1997

Dated Lucknow, February 7, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Aayog (Nirsan) Adhinyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhinyam Saṅkhyā 6 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 6, 1998.

**THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN
(REPEAL) ACT, 1998**

(U. P. Act no. 6 of 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1997

It is HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Act, 1998.
- (2) It shall be deemed to have come into force on December 8, 1997.
2. The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1997 is hereby repealed.
3. The Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

Short title and
Commencement

Repeal of U.P.
Act no. 7
of 1997

Repeal

U. P.
Ordinance
no. 15
of 1997

By order,
G. S. PANDEY,
Vishesh Sachiv.

वी० ए० यू० पी०—ए० पी० 227 सा० दिवा०—(2376)—1998—850 (सेक 0)।